न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 41 / 2022 पुराना, 316/2023 नया   दायर तारीख :– 02.05.2022

लालचन्द कुमावत पुत्र श्री कानाराम कुमावत जाति कुमावत निवासी हिंगोनिया हाल निवासी कि0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियेः– तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल
2. कल्याणी देवी पत्नी लालुराम उर्फ लाल चन्द जाति कुमावत निवासी हिंगोनिया हाल निवासी किशनगढ रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल
3. गीता देवी पत्नी मोहन लाल जाति कुमावत निवासी किशनगढ रेनवाल
4. मंजु देवी पत्नी राजकुमार जाति कुमावत निवासी कि0 रेनवाल
5. मोहन लाल पुत्र ईसरराम जाति कुमावत निवासी कि0 रेनवाल
6. राजकुमार पुत्र ईसर राम जाति कुमावत निवासी कि0 रेनवाल
7. रामकरण पुत्र ईसरराम जाति कुमावत निवासी कि0 रेनवाल

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मुकेश बगडिया अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 16/7/25

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 663 के खसरा नम्बर 1672/387 रकबा 1.5427 हैक्टैयर, खसरा नम्ब्र 387/1 रकबा 0.9610 हैक्टैयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.5037 वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल भू0अ0नि0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 2/3 दर्ज व अंकित है। इसी प्रकार वादी के नाम की एक अन्य खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 586 के खसरा नम्बर 1667/387 रकबा 0.0948 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1671/387 रकबा 0.0126 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1673/387 रकबा 0.0190 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.1264 वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल भू0अ0नि0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज व अंकित है। वादी को पूर्व में लालुराम व लालचन्द कुमावत दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता रहा है। और पूर्व में वादी के अलग अलग दस्तावेजों में भी वादी का नाम लालुराम व लाल चन्द कुमावत रहा है।, परन्तु बाद मं वादी ने राजस्व रिकोर्ड के अतिरिक्त अन्य समस्त दस्तावेजों में धीरे धीरे वादी ने अपना नाम समस्त दस्तावेजो में लाल चन्द कुमावत करवा लिया परन्तु वादी की उपरोक्त आराजीयात में वादी का नाम लालुराम हीं अंकित रहा। वास्तव में वादी को आज भी लालुराम व लाल चन्द कुमावत दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। इसलिए वादी का नाम आराजीयात में लालुराम दर्ज हो रखा है। लेकिन वादी के अन्य दस्तावेजात में अब वादी का नाम लाल चन्द कुमावत हो गया है। साथ ही वादी के पुत्रों के दस्तावेजात में उनके पिता का नाम लाल चन्द कुमावत है, इसलिए वादी को अपनी उपरोक्त समस्त आराजीयात में अपना नाम लालुराम की बजाय लाल चन्द कुमावत दर्ज करवाना आवश्यक है। वादी अपनी उक्त वर्णित समस्त आराजीयात में कृषि कार्य कर बिना किसी व्यवधान के कृषि उपज प्राप्त कर रहे है तथा समस्त प्रकार की खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी ने अपना नाम लालुराम की जगह लाल चन्द कुमावत करावाने हेतु पटवारी हल्का व श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर को दिनांक 31.03.2022 को कहा तो उन्होने न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

से आदेश लाने पर ही वादी का नाम लालुराम की जगह लाल चन्द कुमावत करने हेतु कहा। इसलिए यह वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती नाम इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 7 की तलबी की गई बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतःइनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से जवाब प्राप्त होकर पूर्व से शामिल मिसल किया गया ।

3. वादी ने वाद पत्र के समर्थन में वादी स्वंय लालचन्द कुमावत , गवाह कालूराम कुमावत के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध किये गये। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में खसरा नम्बर 1672/387 , 387/1 की जमाबन्दी की नकल प्रदर्श पी–1 व वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श पी–2 है एंव मेंरी आराजीयात आराजी खसरा नम्बर 1667/387 , 1671/387 , 1673/387 की जमाबन्दी प्रदर्श पी–3 है तथा वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श पी–4 है। असल आधार कार्ड पी–5, असल आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श–पी–5–1,पेन कार्ड प्रदर्श पी–6, पेन कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श पी–6–1, राशन कार्ड पी–7 है। राशन कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श पी–7–ए पेश की है।

4. बहस वकील पक्षकारान की सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 1672/387 व 387/1 ,1667/387, 1673/387 वाके ग्राम रेनवाल में जिसमें वादी काबिज काश्त व खातेदार है। वादी को पूर्व में लालुराम व लालचन्द कुमावत दोनो नाम से जाना जाता है। पूर्व में वादी के अलग अलग दस्तावेजो में भी वादी का नाम लालुराम व लालचन्द कुमावत रहा है। परन्तु बाद में वादी ने राजस्व रिकोर्ड के अतिरिक्त अन्य समस्त दस्तोवजो में धीरे धीरे वादी ने अपना नाम लाल चन्द कुमावत करवा लिया परन्तु वादी की उपरोक्त आराजीयात में वादी का नाम लालुराम ही अंकित रहा वास्तव में वादी को आज भी लालुराम व लाल चन्द दोनो नामों से जाना पहचाना जाता है। लेकिन वादी के अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम लालचन्द कुमावत हो गया है साथ ही वादी के पुत्रों के दस्तावेजात में भी उनके पिता का नाम लाल चन्द कुमावत है इसलिए वादी का अपनी उपरोक्त आराजीयात में अपना नाम लालुराम की बजाय लाल चन्द कुमावत दर्ज करना आवश्यक हुआ

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। उक्त के अवलोकन के आधार पर खसरा नम्बर 1672/387,387/1,1667/387,1671/387 , 1673/387 वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल मे दर्ज खातेदार वादी का नाम लालुराम की जगह लाल चन्द कुमावत को उसको दुरूस्त कर खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि खसरा नम्बर 1672/387,387/1,1667/387,1671/387 , 1673/387 वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल मे दर्ज खातेदार वादी का नाम लालुराम की जगह लाल चन्द कुमावत को उसको दुरूस्त कर खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश प्रदान किये जाते है। इस हेतु तहरीर तह0 किशनगढ रेनवाल को जारी हो। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। निर्णय दिनांक 16/01/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ-रेनवाल

लालचन्द कुमावत बनाम सरकार
वाद सं0 41/22

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

बइजलास :– सुनिता मीणा आर.ए.एस.

लालचन्द कुमावत पुत्र श्री कानाराम कुमावत जाति कुमावत निवासी हिंगोनिया हाल निवासी कि0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये:– तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल
2. कल्याणी देवी पत्नी लालुराम उर्फ लाल चन्द जाति कुमावत निवासी हिंगोनिया हाल निवासी किशनगढ रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल
3. गीता देवी पत्नी मोहन लाल जाति कुमावत निवासी किशनगढ रेनवाल
4. मंजु देवी पत्नी राजकुमार जाति कुमावत निवासी कि0 रेनवाल
5. मोहन लाल पुत्र ईसरराम जाति कुमावत निवासी कि0 रेनवाल
6. राजकुमार पुत्र ईसर राम जाति कुमावत निवासी कि0 रेनवाल
7. रामकरण पुत्र ईसरराम जाति कुमावत निवासी कि0 रेनवाल

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा व नाम दुरूस्ती इन्द्राज खातेदारी

वाद संख्या 41/2022पुराना,316/2023 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश कुमार बगडिया व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि ख्खसरा नम्बर 1672/387,387/1,1667/387,1671/387 , 1673/387 वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल मे दर्ज खातेदार वादी का नाम लालुराम की जगह लाल चन्द कुमावत को उसको दुरूस्त कर खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। निज ....–....... मुबलिग.......–......... बाबत्.....–...... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह... ......–........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........–........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

(सुनिता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल